



कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट
सोनभद्र- (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 2650 / रेनूकूट / 15- 38 दिनांक, रेनूकूट, जनवरी, 27, 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में । (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/MIN/29061/2017

संदर्भ:- 1-अनु सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 3106/81-2-2023-79/1991 दिनांक- 15.01.2024
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 1771/11-सी- FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक-16.01.2024
3- मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्र संख्या- 2843/मी०/33 दिनांक- 18.01.2024

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । उक्त प्रकरण में उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक- 15.02.2024 द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख निम्न विवरण के अनुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	अनु सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का संदर्भित पत्र दिनांक- 15.01.2024 में अंकित विवरण जिस पर सूचना/आख्या चाही गयी है ।	प्रभाग की अनुपालन आख्या /अद्यतन स्थिति
1	2	3
1	---इस मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दिनांक- 31.07.2023 के साथ कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र दिनांक- 25.08.2022 में अंकित बिन्दु संख्या- 4 की अद्यतन स्थिति/आख्या एवं आपके पत्र संख्या-419/11- सी दिनांक- 20.08.2015 की प्रति संलग्नको सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे , जिससे परियोजना प्रस्ताव में अग्रोत्तर कार्यवाही की जा सके ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभाग की आख्या/ अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है :- 1-कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र दिनांक-25.08.2022 के बिन्दु संख्या- 4 में अंकित विवरण एवं बिन्दुवार आख्या को मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊके पत्र संख्या- 731 दिनांक- 08.2022 द्वारा प्रमुख सचिव , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ को संदर्भित किया गया जिसके क्रम में उ०प्र० शासन स्तर से कोई निर्णय लिये जाने की जानकारी प्रभाग को प्राप्त नहीं है 2- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या- 419/11-सी दिनांक- 20.08.2015 की प्रति संलग्नको सहित संलग्न है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में :

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- / 11-C , दिनांक, लखनऊ, अगस्त 20 , 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : नार्दन कोल फिल्ड लि० की कृष्णशिला एवं बीना विस्तार परियोजना को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर का पत्रांक-880/मीरजापुर/33, दि० 20.08.2015

महोदय,

विषयगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के पत्रांक-880/मीरजापुर/33, दिनांक 20.08.2015 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्रांक-760/रेनुकूट/15, दिनांक 18.08.15 की प्रति संलग्न करते हुए आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 419 / , दिनांकित

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. T.
2. J. S. D. S. D.
3. J. S. D. S. D.
4. J. S. D. S. D.
5. J. S. D. S. D.
6. J. S. D. S. D.
7. J. S. D. S. D.
8. J. S. D. S. D.
9. J. S. D. S. D.
10. J. S. D. S. D.
11. J. S. D. S. D.
12. J. S. D. S. D.
13. J. S. D. S. D.
14. J. S. D. S. D.
15. J. S. D. S. D.
16. J. S. D. S. D.
17. J. S. D. S. D.
18. J. S. D. S. D.
19. J. S. D. S. D.
20. J. S. D. S. D.



(डा० राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-
सेवा में,

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
/मीरजापुर/33 दिनांक, मीरजापुर, जुलाई, 2015

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ ।

विषय- जनपद सोनभद्र में नार्दन कोल फील्ड्स लि० द्वारा ककरी परियोजना में वन (संरक्षण)
अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ- उ०प्र० शासन का पत्र दिनांक 16.07. 2015 के क्रम में आपका पृष्ठांकन संख्या-
140/11-सी, दिनांक 16.07.2015 ।

महोदय,

विषयक प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण)
अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी के पैरा- 1.9 के उप धारा (i), (ii), (iii) तथा (iv) के प्राविधानों के
अनुक्रम में सुस्पष्ट आख्या सहित उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
उक्त के अनुपालन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या-
309/मी०/33 दिनांक 16.07.2015 द्वारा प्रकरण में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया
गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय पत्रांक- 330/रेनुकूट/15 दिनांक
22.07.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि नार्दन कोल
फील्ड्स लि० द्वारा ककरी परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु
के पक्ष में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रभागीय कार्यालय के पत्र संख्या- 293/रेनुकूट/ 15 दिनांक
16.07.2015 द्वारा चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, सिगरौली एवं
महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, ककरी, सोनभद्र को सूचित किया गया। महाप्रबन्धक,
नार्दन कोल फील्ड्स लि०, ककरी, सोनभद्र द्वारा प्रभागीय कार्यालय कक्ष में दिनांक 20.07.2015 को
उपस्थित हुये, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख
प्रस्तुत नहीं कर पाये।

यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी
सिद्धान्त के पैरा- 1.9 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप ही उल्लंघन का प्रस्ताव प्रभागीय
वनाधिकारी, रेनुकूट का पत्रांक- 4704/रेनुकूट/12 बैठक, दिनांक 10.06.2013 जो इस कार्यालय
को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित किया गया है जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या-
6473/मी०/33 दिनांक 29.06.2013 द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित किया गया है। उपरोक्त प्रेषित
उल्लंघन प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त मूल संलग्नकों सहित अपने कार्यालय पत्र संख्या-
1571/11-सी, उल्लंघन, दिनांक 30.01.2014 द्वारा प्रमुख सचिव वन, उ०प्र० शासन, वन
अनुभाग- 2 लखनऊ की सेवा में प्रेषित करते हुये प्रतिलिपि इस कार्यालय एवं प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट को प्रेषित किया गया है।

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के पैरा 1.9 के उप धारा- (i), (ii), (iii) तथा (iv) के प्राविधानों के अनुक्रम में सुस्पष्ट आख्या सहित उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव उपरोक्तानुसार प्रेषित की जा चुकी है। प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव को पुनः प्रेषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित अनुरोध किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव को तदनुसार आपकी सेवा में संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है। कृपया तदनुसार प्रकरण को शासन में प्रेषित करने की कृपा करें। पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव उन दिनांक 22.07.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(के०एम०ठाकुर)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 430 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके कार्यालय के पत्र संख्या- 330/रेनुकूट/15 दिनांक 22.07.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

L-T.
330/रेनुकूट/15
22/07/15



(के०एम०ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)
पत्रांक- 330 / रेनुकूट / 15 दिनांक, रेनुकूट, जुलाई- 22 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
भीरजापुर क्षेत्र
भीरजापुर ।

- विषय:- जनपद-सोनभद्र में नार्दन कोल फील्डस लि० द्वारा ककरी परियोजना में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में ।
- संदर्भ:- उ०प्र० शासन का पत्र दिनांक-16.07.2015 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या- 140/11सी दिनांक- 16.07.2015 पर आपका पृष्ठांकन संख्या- 309/मी./33 दिनांक- 16 जुलाई 2015

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के पैरा 1.9 के उप धारा-(i),(ii),(iii) तथा (iv) के प्राविधानों के अनुक्रम में सुस्पष्ट आख्या सहित उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उक्त पत्रों के अनुपालन में आख्या प्रेषित करने के पूर्व , एन.सी.एल. को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु, इस कार्यालय के पत्र संख्या- 293/रेनुकूट/15 दिनांक- 16.07.2015 द्वारा चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्डस लि. सिंगरौली, एवं महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि० ककरी -सोनभद्र को सूचित किया गया । उक्त के क्रम में महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि. ककरी -सोनभद्र, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक- 20.07.2015 को उपस्थित हुए ,परन्तु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाये ।

यहाँ यह उल्लेख करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के पैरा 1.9 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप ही उल्लंघन का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या- 4704/रेनुकूट/ 12 बैठक दिनांक- 10.06.2013 द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित किया गया था, जिसे आपने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 6473/मीरजापुर/33 दिनांक- 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की सेवा में प्रेषित किये गये । उक्त उल्लंघन के प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ ने भी अपने पत्र संख्या- 1571/11-सी-उल्लंघन दिनांक- 30.01.2014 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ०प्र० शासन, वन अनुभाग-2 लखनऊ की सेवा में प्रेषित करते हुए पत्र की प्रतिलिपि आपके कार्यालय एवं इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की गयी ।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के पैरा 1.9 के उप धारा-(i),(ii),(iii) तथा (iv) के प्राविधानों के अनुक्रम में सुस्पष्ट आख्या सहित उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव उपरोक्तानुसार प्रेषित की जा चुकी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव को पुनः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की सेवा में प्रेषित करने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है ।

भवदीय

(तुलसीदास)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

कायालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- /11-सी-327/2014 दिनांक, लखनऊ, जनवरी 30 /2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव, (वन)
उ०प्र०शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय- वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन।

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव का परीक्षणोंपरान्त मूल संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि कृपया शासन स्तर से उक्त प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त (58 पृष्ठ)।

भवदीय

(ए०के०द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-571 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-
2-

मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उनके पत्रांक 6473/संख्या 133 दिनांक 29.6.13 के क्रम में।
प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।

(ए०के०द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गीरजापुर क्षेत्र, गीरजापुर

पत्रांक- 6473 /गीरजापुर/ 33 दिनांक, गीरजापुर, जून 29, 2013
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ ।

विषय- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन ।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट का पत्र संख्या- 4704/रेनुकूट/12 बैठक, दिनांक 10.06.2013 ।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है (छाया प्रति संलग्न) है। पत्र में उल्लिखित है कि मे० नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना के अन्तर्गत धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 15.12.2012 को प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा एक बैठक आयोजित की गई जिसमें महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना नार्दन कोल फील्ड्स लि० को आमंत्रित किया गया (संलग्नक-1)। उक्त बैठक में ककरी परियोजना के ओर से श्री एस०के०सिंह, खान अधिकारी एवं श्री यू०एस०सिंह पर्यावरण अधिकारी उपस्थित हुए। प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा उक्त बैठक में एन०सी०एल० के उपस्थित अधिकारियों को एन०सी०एल० के नियंत्रण के अधीन भारतीय वन अधिनियम 1980 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि को भारत सरकार के अनुमति प्राप्त किये बिना लैण्डको पावर एवं अन्य निजी एजेंसियों को लीज पर एन०सी०एल० द्वारा भूमि दिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा एन०सी०एल० को बैठक में उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये। एन०सी०एल० के उपस्थित अधिकारियों को एन०सी०एल० द्वारा निजी कम्पनियों को लीज डीड पर दी गई भूमि के अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये। बैठक के कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं० 2071/रेनु०/12, दिनांक 15.12.2012 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है (संलग्नक-2)।

2. एन०सी०एल० ककरी परियोजना द्वारा समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उन्हे उक्त सूचना/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं०- 2161/रेनु०/12, दिनांक 24.12.2012 के माध्यम से अनुस्मारक प्रेषित किया गया (संलग्नक-3)। उक्त अनुस्मारक के पश्चात महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं० महाप्रबन्धक/ककरी/11/2012/893, दिनांक 27.12.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि एन०सी०एल० द्वारा लैण्डको या अन्य किसी एजेंसी को जो भूमि दी गई है वह वन भूमि नहीं है तथा महाप्रबन्धक, एन०सी०एल०, ककरी परियोजना द्वारा लीज सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये (संलग्नक-4)। तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं० 2401/10टी.सी., दिनांक 11.01.2013 के माध्यम से श्री एस०के०झाँ, महा प्रबन्धक एन०सी०एल० ककरी को उक्त अभिलेख एवं सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देते हुए अवगत कराया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अनुपालन से सम्बन्धी वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के श्रेणी में आता है (संलग्नक-5)। दिनांक 19.01.2013 को एन०सी०एल० ककरी परियोजना की ओर से श्री एस०के०सिंह, महाप्रबन्धक एवं श्री यू०एस०सिंह, पर्यावरण अधिकारी, प्रभागीय कार्यालय में उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई। तत्समय उन्हें प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं० 2493/रेनु०/16एफ-39, दिनांक 19.01.2013 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 28.01.2013 की

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

तिथि निर्धारित की गई (संलग्नक-6)। दिनांक 28.01.2013 को महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं०- मु०महा प्र०/ककरी वन/2013/898, दिनांक 27.01.2013 के माध्यम से एन०सी०एल० द्वारा निजी कम्पनियों को लीज पर दी गई भूमि की लीज डीड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई (संलग्नक-7)।

3. एन०सी०एल० ककरी परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये लीज डीड एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार एन०सी०एल० ककरी द्वारा धारा-4 में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे० हिण्डालको इण्ड०लि०, रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली०, अनपरा सोनभद्र को वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गई है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 का उल्लंघन है।

क्र. सं.	लीज धारक	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	निहित वन भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	मे० हिण्डालको इण्ड० लि० रेनुसागर पावर डिवीजन, सोनभद्र	21.02.2009	एश पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यों के लिए रास्ते के निर्माण हेतु	7.43 एकड़	5.5203 एकड़
2	—	10.06.2011	कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना	30.86 एकड़	6.1405 एकड़
3	मे० लैन्को अनपरा पावर लि०, अनपरा सोनभद्र	30.11.2010	वार्फ वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना	8.8 एकड़	6.6 एकड़
	योग			47.09 एकड़	18.2608 एकड़

4. मे० नार्दन कोल फील्डस लि०, ककरी परियोजना द्वारा मे० हिण्डालको इण्ड०लि० रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली०, अनपरा सोनभद्र को उक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना धारा-4 में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दिये जाने से सम्बन्धित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन बावत् नोटिस प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं० 3271/रेनु०/ दिनांक 22.02.2013 के माध्यम से चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि०, सिंगरौली को प्रेषित किया गया तथा उनसे इस आशय का आग्रह किया गया कि उक्त उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके नाम व पद तथा उनके उत्तरदायित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाये (संलग्नक-8)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि०, सिंगरौली के स्तर से कोई सूचना प्राप्त न होने पर प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं० 3412/37, दिनांक 02.03.2013 के माध्यम से अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया परन्तु उनके स्तर से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है (संलग्नक-9)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि०, सिंगरौली के स्तर से उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम का साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने की रिश्ति में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के विचार से इस उल्लंघन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक जिम्मेदारी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नाम उसका औचित्य निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	जिम्मेदारी का स्तर	औचित्य
1	2	3	4	5
1	अमितव राव	मुख्य महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास,	द्वितीयक	मे० अनपरा पावर लि०, अनपरा के साथ निष्पादित लीज डीड 03.11.2010 में

2	राजय मिश्रा	एन०सी०एल०, सिंगरौली महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन०सी०एल०, सिंगरौली	द्वितीयक	एन०सी०एल० की ओर से हस्ताक्षर किये गये। ग० डिण्डालको इण्डोलि० रेनुसागर के साथ दिनांक 10.06.2011 को निष्पादित लीज डीड पर एन०सी०एल० सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये।
3	जी.पी.पुर्वे	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन०सी०एल०, सिंगरौली	द्वितीयक	ग० डिण्डालको इण्डोलि० रेनुसागर के साथ दिनांक 21.02.2009 को निष्पादित लीज डीड पर एन०सी०एल० सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये।
4	एस०के०झों	महाप्रबन्धक, एन०सी०एल०, ककरी, सोनभद्र	प्राथमिक	ककरी परियोजना के अन्तर्गत कार्यालय अग्रद्वार एवं मुखिया के रूप में।
5	यू०एस०सिंह	पर्यावरण अधिकारी, ककरी परियोजना	प्राथमिक	प्रोजेक्ट की भूमि के कस्टोडियन के रूप में प्रभाग स्तर पर आयोजित इस प्रभाग से सम्बन्धित समस्त बैठकों में भाग लिया गया।
6	एस०के०सिंह	स्टाफ अधिकारी, कार्मिक/सुरक्षा इंचार्ज, ककरी परियोजना	प्राथमिक	महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के कार्यालय के पत्र सं० म०महाप्रबन्धक/ककरी वन /2012/893, दिनांक 27.02.2012 द्वारा सूचित होने के कारण।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित उपरोक्त विवरण के आधार पर नार्दन कोल फील्ड लि० ककरी परियोजना में परियोजना के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना वनेत्तर प्रयोग हेतु निजी कम्पनियों को लीज पर दिये जाने सम्बन्धित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के उल्लंघन का प्रकरण अधिनियम की धारा-3क के तहत कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ को सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः प्रश्नगत प्रकरण को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र) सेक्टर -एच०, अलीगंज, लखनऊ को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कृपा करें।

उल्लंघन की पुष्टि हेतु निम्न अभिलेख संलग्न किये जा रहे हैं:-
एन०सी०एल० द्वारा निष्पादित लीज डीड 21.02.2009, 10.06.2011 एवं 30.11.2010 की छाया प्रतियां संलग्न है (संलग्नक-10 एवं 11)।
लीज में दी गई भूमि में निहित वन भूमि का विवरण संलग्न है (संलग्नक-12, 13 एवं 14)।
धारा-4 की विज्ञापित सं० 2849/14-अ/4/(51)'69, दिनांक 16.09.69 की प्रति (संलग्नक-15)।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार)
मुख्य वन संरक्षक,
भीरजापुर क्षेत्र, भीरजापुर

(अजय कुमार)
मुख्य वन संरक्षक,
भीरजापुर क्षेत्र, भीरजापुर

संख्या 6473 अ/समदिनांक
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र ।
पत्रांक ५३०५ / रेनुकूट / १२६०, दिनांक, रेनुकूट, जून १० - २०१३
सेवा में,

वन संरक्षक,
विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर ।

विषय- वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० का उल्लंघन ।
महोदय,

अवगत कराना है कि नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना के अन्तर्गत धारा ४ में विज्ञापित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम १९८० के प्राविधानों के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक १५.१२.२०१२ को प्रभागीय कार्यालय, रेनुकूट में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना नार्दन कोल फील्ड लि० को आमंत्रित किया गया (संलग्नक-१)। उक्त बैठक में ककरी परियोजना के ओर से श्री एस०के०सिंह, खान अधिकारी एवं यू०एस०सिंह पर्यावरण अधिकारी उपस्थित हुए । अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त बैठक में एन०सी०एल० के उपस्थित अधिकारियों को एन०सी०एल० के नियंत्रण के अधीन भारतीय वन अधिनियम १९८० की धारा-४ के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि को भारत सरकार के अनुमति प्राप्त किये बिना लैन्को पावर एवं अन्य निजी एजेंसियों को लीज पर एन०सी०एल० द्वारा भूमि दिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा एन०सी०एल० को बैठक में उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम १९८० का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये । एन०सी०एल० के उपस्थित अधिकारियों को एन०सी०एल० द्वारा निजी कम्पनियों को लीज डीड पर दी गई भूमि के अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये । बैठक के कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में प्रभागीय कार्यालय के पत्र सं० २०७१/रेनु०/१२, दिनांक १५.१२.२०१२ की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है (संलग्नक-२) ।

२. एन०सी०एल० ककरी परियोजना द्वारा समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उन्हे उक्त सूचना/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं० २१६१/रेनु०/१२, दिनांक २४.१२.२०१२ के माध्यम से अनुस्मारक प्रेषित किया गया (संलग्नक-३) । उक्त अनुस्मारक के पश्चात महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं० महाप्रबन्धक/ककरी/११/२०१२/८९३, दिनांक २७.१२.२०१२ द्वारा अवगत कराया गया कि एन०सी०एल० द्वारा लैन्को या अन्य किसी एजेंसी को जो भूमि दी गई है वह वन भूमि नहीं है तथा महाप्रबन्धक, एन०सी०एल०, ककरी परियोजना द्वारा लीज सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये (संलग्नक-४) । तत्कम में इस कार्यालय के पत्र सं० २४०१/१०टी.सी., दिनांक ११.०१.२०१३ के माध्यम से श्री एस०के०सिंह, महा प्रबन्धक एन०सी०एल० ककरी को उक्त अभिलेख एवं सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देते हुए अवगत कराया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अनुपालन से सम्बन्धी वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना वन संरक्षण अधिनियम १९८० के उल्लंघन के श्रेणी में आता है (संलग्नक-५) । दिनांक १९.०१.२०१३ को एन०सी०एल० ककरी परियोजना की ओर से श्री एस०के०सिंह, महाप्रबन्धक एवं श्री यू०एस०सिंह, पर्यावरण अधिकारी, प्रभागीय कार्यालय में उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई । तत्समय उन्हे इस कार्यालय के पत्र सं० २४९३/रेनु०/१६एफ-३९, दिनांक १९.०१.२०१३ के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक २८.०१.२०१३ की तिथि निर्धारित की गई (संलग्नक-६) । दिनांक २८.०१.२०१३ को महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं० मु०महा प्र०/ककरी वन/२०१३/८९८, दिनांक २७.०१.२०१३ के माध्यम से एन०सी०एल० द्वारा निजी कम्पनियों को लीज पर दी गई भूमि की लीज डीड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई (संलग्नक-७) ।

३. एन०सी०एल० ककरी परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये लीज डीड एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार एन०सी०एल० ककरी द्वारा धारा-४ में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे० हिण्डालको इण्डो लि० रेनुसागर पावर डिविजन एवं लैन्को अनपरा पावर लि०, अनपरा सोनभद्र को वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गई है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम १९८० की धारा-२ का उल्लंघन है ।

क्र. सं.	लीज धारक	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	निहित वन भूमि का क्षेत्रफल
		३	४	५	६
१	मे० हिण्डालको इण्डो लि० रेनुसागर पावर डिविजन, सोनभद्र	२१.०२.२००९	एश पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यों के लिए रास्ते के निर्माण हेतु	७.४३ एकड़	५.५२०३ एकड़
२	---	१०.०६.२०११	कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना	३०.८६ एकड़	६.१४०५ एकड़
३	मे० लैन्को अनपरा पावर लि०, अनपरा सोनभद्र	३०.११.२०१०	वार्फ वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना	८.८ एकड़	६.६ एकड़
	योग			४७.०९ एकड़	१८.२६०८ एकड़


4. नार्दन कोल फील्डस लि०, ककरी परियोजना द्वारा मे० हिण्डालको इण्ड०लि० रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली०, अनपरा सोनभद्र को उक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना धारा-4 में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दिये जाने से सम्बन्धित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन बावत नोटिस इस कार्यालय के पत्र सं० 3271/रेनु०/ दिनांक 22.02.2013 के माध्यम से चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि०, सिंगरौली को प्रेषित किया गया तथा उनसे इस आशय का आग्रह किया गया कि उक्त उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके नाम व पद तथा उनके उत्तरदायित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाये (संलग्नक-8)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि०, सिंगरौली के स्तर से कोई सूचना प्राप्त न होने पर इस कार्यालय के पत्र सं० 3412/37, दिनांक 02.03.2013 के माध्यम से अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया परन्तु उनके स्तर से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है (संलग्नक-9)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि०, सिंगरौली के स्तर से उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम का साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के विचार से इस उल्लंघन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक जिम्मेदारी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नाम उसका औचित्य निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पद	जिम्मेदारी का स्तर	औचित्य
1	2	3	4	5
1	अमितव राव	मुख्य महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन०सी०एल०, सिंगरौली	द्वितीयक	मे० अनपरा पावर लि०, अनपरा के साथ निष्पादित लीज डीड 03.11.2010 में एन०सी०एल० की ओर से हस्ताक्षर किये गये।
2	संजय मिश्रा	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन०सी०एल०, सिंगरौली	द्वितीयक	मे० हिण्डालको इण्ड०लि० रेनुसागर के साथ दिनांक 10.06.2011 को निष्पादित लीज डीड पर एन०सी०एल० सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये।
3	जी.पी.पुर्वे	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन०सी०एल०, सिंगरौली	द्वितीयक	मे० हिण्डालको इण्ड०लि० रेनुसागर के साथ दिनांक 21.02.2009 को निष्पादित लीज डीड पर एन०सी०एल० सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये।
4	एस०के०झॉ	महाप्रबन्धक, एन०सी०एल०, ककरी, सोनभद्र	प्राथमिक	ककरी परियोजना के अन्तर्गत कार्यालय अध्यक्ष एवं मुखिया के रूप में।
5	यू०एस०सिंह	पर्यावरण अधिकारी, ककरी परियोजना	प्राथमिक	प्रोजेक्ट की भूमि के कर्टोडियन के रूप में प्रभाग स्तर पर आयोजित इस प्रभाग से सम्बन्धित समस्त बैठकों में भाग लिया गया।
6	एस०के०सिंह	स्टाफ अधिकारी, कार्मिक/ सुरक्षा इंचार्ज, ककरी परियोजना	प्राथमिक	महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के कार्यालय के पत्र सं० म०महाप्रबन्धक/ ककरी वन /2012/893, दिनांक 27.02.2012 द्वारा सूचित होने के कारण।

अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर नार्दन कोल फील्ड लि० ककरी परियोजना में परियोजना के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना वनेत्तर प्रयोग हेतु निजी कम्पनियों को लीज पर दिये जाने सम्बन्धित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के उल्लंघन का प्रकरण अधिनियम की धारा -3क के तहत कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ को सूचित करने का कष्ट करें। उक्त उल्लंघन की पुष्टि हेतु निम्न अभिलेख संलग्न किये जा रहे हैं:-

1. एन०सी०एल० द्वारा निष्पादित लीज डीड 21.02.2009, 10.06.2011 एवं 30.11.2010 की छायाप्रतियां संलग्न है (संलग्नक-10 एवं 11)।
2. लीज में दी गई भूमि में निहित वन भूमि का विवरण संलग्न है (संलग्नक-12, 13 एवं 14)।
3. धारा-4 की विज्ञापित सं० 2849/14-अ/4/(51)69, दिनांक 16.09.69 की प्रति (संलग्नक-15)।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (आशीष तिवारी) 08/06
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।

पत्रांक ५३०५-अ/सम, दिनांक ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊको मय संलग्नक सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
संलग्नक:-यथोपरि ।

प्रतिनाम
(आशीष तिवारी) 08/06
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ।

olc